(373)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्थानीय निकाय विभाग

E 2 APR 2012

क्रमांक प.3(1705)/नाविवि/3/2010 पार्ट   जयपुर, दिनांक

परिपत्र

विषय :– नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक, चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर आवंटित की गयी भूमि के सम्बन्ध में आवंटन शर्तों की पालना सुनिश्चित करने हेतु नीति–निर्देश :–

विभाग द्वारा पूर्व में भूमि आवंटन हेतु जारी किये गये आदेशों/परिपत्रों की निरन्तरता में सार्वजनिक चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को सार्वजनिक उपयोग हेतु रियायती दर पर भूमि आवंटन एवं आवंटित की गयी भूमि का सही समय पर सही उद्देश्यों के लिए उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से भूमि आवंटन नीति तैयार कर दिनांक 19.04.2011 को जारी की जा चुकी है। इस नीति में राज्य में शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में विशिष्ट संस्थानों की स्थापना व विनिवेश की दृष्टि से ऐसे संस्थानों को रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराने के प्रावधानों के साथ–साथ इन संस्थानों का लाभ गरीबों व बी.पी.एल. परिवारों को भी मिल सके ऐसे विशिष्ट प्रावधान किये गये हैं।

विभाग द्वारा आवंटन शर्तों की पालना सम्बन्धित संस्था द्वारा की जा रही है, यह सुनिश्चित करने हेतु समय–समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। जारी किये गये निर्देशों की अनुपालना में स्थानीय निकायों द्वारा पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रयास भी किये गये है, लेकिन शत्–प्रतिशत पालना सुनिश्चित किया जाना अभी भी बाकी है। शर्तों की पालना अधिक प्रभावी रूप से एवं कठोरता से किये जाने हेतु पूर्व में जारी किये गये दिशा–निर्देशों की निरन्तरता में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :–

1. नगरीय निकायों द्वारा रियायती दर पर आवंटित की गयी भूमियों का पूर्ण विवरण मय अधिरोपित की गयी शर्तों के साथ सम्बन्धित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष को 15 दिवस के अन्दर–अन्दर आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।

2. नगरीय निकायों द्वारा रियायती दर पर आवंटित की गयी भूमि की शर्तों की पालना एक समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक नगरीय निकाय स्तर पर निम्नानुसार कमेटियों का गठन किया जाता है :–

A. जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण स्तर पर

i. सम्बन्धित जोन उपायुक्त   अध्यक्ष

(154).

ii. सहायक अभियन्ता — सदस्य

iii. तहसीलदार — सदस्य

iv. सम्बन्धित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी (या उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी) — सदस्य

B. नगर सुधार न्यास स्तर पर

i. सचिव / उप सचिव न्यास — अध्यक्ष

ii. सहायक अभियन्ता — सदस्य

iii. तहसीलदार — सदस्य

iv. सम्बन्धित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी (या उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी) — सदस्य

C. नगर निगम स्तर पर

i. सम्बन्धित आयुक्त जोन — अध्यक्ष

ii. सहायक अभियन्ता — सदस्य

iii. सम्बन्धित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी (या उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी) — सदस्य

D. स्थानीय निकाय स्तर पर

i. अधिशाषी अधिकारी / आयुक्त नगर परिषद / पालिका — अध्यक्ष

ii. सहायक अभियन्ता / कनिष्ट अभियन्ता — सदस्य

iii. सम्बन्धित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी (या उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी) — सदस्य

5. उपरोक्त गठित की गयी समितियॉं तीन माह की अवधि में संस्थाओं को विभिन्न प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी प्रत्येक प्रकरण की भूमि का भौतिक रूप से निरीक्षण कर यह रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी कि संस्थाओं द्वारा आवंटन की सभी शर्तो की पालना कर ली गयी है या नहीं और जिस उद्देश्य के लिए भूमि आवंटित की गयी है, भूमि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए हो रहा है या नहीं ? यदि आंशिक पालना की गयी है तो किन–किन शर्तो की पालना किया जाना शेष है ? बाबत् रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

4. समितियों द्वारा भौतिक सत्यापन किये जाने पर जिन प्रकरणों में यह पाया जाता है कि आवंटित की गयी भूमि का निर्धारित किये गये उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं हो रहा है एवं आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की जा रही है उन प्रकरणों में सम्बन्धित नगरीय निकाय स्वयं के स्तर पर या राज्य सरकार के स्तर पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हो तो, तीन माह की अवधि में नियमानुसार संबंधित संस्था के विरूद्ध भूमि के आवंटन को निरस्त करने एवं लीज डीड को निरस्त कराने की कार्यवाही करने या शास्ती अधिरोपित करने का प्रकरण बनता हो तो शास्ती अधिरोपित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5. नगरीय निकायों द्वारा रियायती दर पर आवंटित की गयी भूमि के प्रत्येक प्रकरण में प्रतिवर्ष अप्रैल माह में भौतिक सत्यापन किया जाकर शर्तों की पालना हो रही है यह सुनिश्चित किया जायेगा।

6. रियायती दर पर भूमि आवंटन के सम्बन्ध में नगरीय निकाय स्तर पर पृथक से रजिस्टर संधारित किया जायेगा जिसमें आवंटित की गयी भूमि का क्षेत्रफल, आवंटन की दर एवं अधिरोपित की गयी शर्तों का विवरण अंकित किया जायेगा। इस रजिस्टर में समिति द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण एवं निरीक्षण दिनांक व भौतिक सत्यापन पर पायी गयी वस्तु स्थिति का अंकन किया जायेगा।

7. रियायती दर पर आवंटित की गयी भूमि के उपयोग एवं उसकी शर्तों की पालना सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों द्वारा कराने हेतु नियमित निरीक्षण कर रिपोर्ट सम्बन्धित निकाय एवं विभाग को प्रेषित करने हेतु निर्देश जारी करने के लिए सम्बन्धित विभाग के प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिवों को भी अनुरोध किया जा रहा है। अतः इन विभागों के अधिकारियों से निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर उस पर अविलम्ब वांछित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित शहरी निकाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का होगा। निर्देशों की पालना नहीं पाये जाने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए दायी होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(जी.एस.संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. अध्यक्ष राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
4. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
5. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।